HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए चोरी के 02 मामलों में एक अभियुक्त को 01 वर्ष 04 माह का साधारण कारावास व 4,000/—रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 18-12-2025 को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी के 02 मामलों में एक अभियुक्त को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- दिनांक 16-09-2024 व 17-09-2024 को अभियुक्त रिजवान पुत्र इलियास निवासी ग्राम सालेपुर कोटला थाना कपूरपुर जनपद हापुड द्वारा थाना हाफिजपुर क्षेत्रांतर्गत क्रमशः ग्राम मीरपुर माजरा व राजकीय इण्टर कॉलेज ग्राम मुरादपुर में चोरी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर क्रमशः मु0अ0सं0 133/2024 धारा 305, 324(3), 331(4), 317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 134/2024 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 13-12-2024 व 30-11-2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 18-12-2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एसीजेएम हापुड़ द्वारा 01 वर्ष 04 माह का साधारण कारावास व 4,000/—रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री सुनील जी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री प्रदीप व उ0नि0 श्री आशीष कुमार एवं पैरोकार है0का0 देवेन्द्र व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 मनीपाल का विशेष योगदान रहा।